न्यायालय :- तहसीलदार,न्यायिक
मण्डल :देवीपाटन, जनपद :गोंडा , तहसील :मनकापुर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202108300705466
वाद संख्या:- 5466/2021
राजा रघुराज सिह डिग्री कालेज बनाम गंगा सिह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 35
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/05/2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्राप्त पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 12.07.2021 को प्रस्तुत किया गया वाद दर्ज मिसिलबंद कर इश्तिहार जारी किया गया जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। साक्ष्य एव पैरवी के आभाव में दिनांक 27.08.2021 को वाद निरस्त्त कर दिया गया है। वादी द्वारा पुन: वाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार करते हये वाद की कार्यवाही मूल वाद पर प्रारम्भ की गयी अंदर मियाद कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई है। वाद निर्विवाद है। वादी द्वारा साक्ष्य मे मृत्यु प्रमाण पत्र, बयान हासिया गवाह, बयान वादी बयान लेखपाल, दर्ज कराया जो संलग्न पत्रावली है। वादी का साक्ष्य पूर्ण है। ऐसा कोई तथ्य सामने नही आता है जिससे नामांतरण पर विपरीत प्रभाव पडता है अत: नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक अडचन नही है।

- आदेश

अत: आदेश किया जाता है। कि ग्राम अशरफपुर परगना व तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा की खतौनी वर्ष 1424-1429 फसली के खाता संख्या- 75 व 76 से मृतक गंगा सिह पुत्र महेन्द्र सिह निवासी पडौना तहसील व जिला गुना मध्य प्रदेश का नाम खारिज करके उनके स्थान पर राजा रघुराज सिह डिग्री कालेज सोसाइटी अशरफपुर मनकापुर जिला गोण्डा संरक्षक श्री कीर्तिवर्धन सिह पुत्र कुंवर आनन्द सिह निवासी मनकापुर कोट परगना व तहसील मनकापुर जिला गोण्डा का नाम बतौर पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 12.05.2005 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक -

तहसीलदार
मनकापुर गोण्डा

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

K.V. Singh
Chairman
Raja Raghuraj Singh College of Pharmacy
Ashrafpur, Mankapur-Gonda (U.P.)

Raja Raghuraj Singh College of Pharmacy
Ashrafpur, Mankapur-Gonda (U.P.)

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

12-5-05

वसीयतनामा

मनकि गंगासिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उम्र लगभग 78 वर्ष निवासी ग्राम पाडोन तहसील गुना जिला गुना — मध्य प्रदेश का हूँ। चूंकि मेरी उम्र जईफी को पहुँच चुकी है ना जाने कब जान जिस्म से जुदा हो जाय। ऐसी दशा में मन मुकिर अपने जायदाद का उचित प्रबन्ध करना चाहता है। मुकिर की कुछ सम्पत्ति आराजी जो अचल के रूप में है वह ग्राम अशरफपुर परगना व तहसील मनकापुर जिला गोण्डा में स्थित है। जिसका मुकिर मालिक काबिज व काबिज है। चूंकि राजा रघुराज सिंह मुकिर के सगे नाना थे और राजा रघुराज सिंह डिग्री कालेज सोसाईटी अशरफपुर, मनकापुर जिला गोन्डा उनके नाम की सोसाईटी है। मुकिर की अन्तिम इच्छा है कि मेरी मृत्यु के उपरान्त ग्राम अशरफपुर परगना व तहसील मनकापुर जिला गोण्डा की समस्त सम्पत्ति राजा रघुराज सिंह डिग्री —

K.v.singh

Raja Raghuraj Singh College of Pharmacy
Ashrafpur, Mankapur-Gonda (U.P.)

Principal
Raja Raghuraj Singh College of Pharmacy
Ashrafpur, Mankapur-Gonda (U.P.)

INDIA

एक रुपया — एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

कालेज सोसाइटी अशरफपुर, मनकापुर जिला गोण्डा
के नाम अभिलेखों मे दर्ज हो। राजा रघुराज सिं
डिग्री कालेज सोसाइटी अशरफपुर, मनकापुर जिला
गोण्डा के नाम इस वसीयतनामा अन्तिम इच्छा के
आधार पर दर्ज सम्पत्ति के सम्बन्ध श्री कीर्तिवर्ध
सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह निवासी मनकापुर कोटपा
व तहसील मनकापुर जिला गोण्डा होंगे। —
यह मुकिर की अन्तिम वसीयतनामा है। अगर मेरे
जायदाद के बावत जो ग्राम अशरफपुर परगना व तह
मनकापुर जिला गोण्डा मे स्थित है के बारे मे को
भी व्यक्ति अपना दावा या हक पेश करे तो वह अदा
मे जाल व फर्जी व नाजायज माना जाय। —
अतः मैं मुकिर बखुशी व रजामंदी बिला कि
जब्र दबाव के यह वसीयतनामा समक्ष गवाह
आखिल तहरीर कर दिया कि सनद रहे और समय
पर काम आवे। ता० तहरीर 12-05-2005 ई० लेख
शोभा राम मिश्र व० न० मनकापुर लै० नं० 2 ली
[illegible] रुपया मात्र।

K.V. Singh
Chairman
Raja Raghuraj Singh College of Pharmacy
Ashrafpur, Mankapur-Gonda (U.P.)

Principal
Raja Raghuraj Singh College of Pharmacy
Ashrafpur, Mankapur-Gonda (U.P.)

ग [illegible]

267

12/5/2005

वसीयतनामा

क्रमांक 266

पत्रावली

12-5-05

111 48 107/110

90

(93)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम अशरफपुर परगना व तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा में स्थित गाटा सं0 628मि./1.740हे0 भूमि राजा रघुराज सिंह डिग्री कालेज सोसाइटी के नाम से दर्ज कागजात है गाटा सं0 628 के मध्य कोई नाली,चकरोड,कब्रिस्तान तथा जलमग्न क्षेत्र नही है तथा भूमि सम्पूर्ण रूप से विवाद रहित है एवं गाटा सं0 628 से 15 कि0मी0 की परिधि में कोई भी फार्मेसी कालेज स्थापित व संचालित नही है।

17-09-2022
हस्ताक्षर
लेखपाल

हस्ताक्षर
राजस्व निरीक्षक

हस्ताक्षर
तहसीलदार

K.V. Singh
Chairman
Raja Raghuraj Singh College of Pharmacy
Ashrafpur, Mankapur-Gonda (U.P.)

Principal
Raja Raghuraj Singh College of Pharmacy
Ashrafpur, Mankapur-Gonda (U.P.)